फर्द अहकाम

भागीरथ बनाम V.S बेबी कौर ?

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

...ज्या विराटनगर (जयपुर)

56/2015 प्रार्थना पत्र

सत्यमेव जयते
Copy - Not Official

विशेष वि...	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	31/05/18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत में पेश हुई। मजमे आम सुनवाई की गई। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। वादी का वाद कानूनी बंटवारा से संबंधित है, तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1, 2. आराजी मुतनाजा ग्राम पालडी के ख०नं० 196/0.35, 296/0.74, 297/0.02, 627/0.49 हैक्टेयर के सहखातेदार हैं, तथा बाहमी बंटवारा अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। मौके पर अप्रार्थी सं. 1 द्वारा बिना कानूनी बंटवारा कराये दुकान निर्माण किये जाने का विवाद है। मूल वाद में न्याय पूर्ण निस्तारण दोनो पक्षों के द्वारा साक्ष्य पेश किये जाने / बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त करने उपरान्त होगा तब तक दोनो पक्षों को आराजी के राजस्व एवं मौका की यथास्थिति के लिए पाबन्द किया जाना न्यायसंगत है। अतः उभयपक्षों को तफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम पालडी के ख०नं० 196, 296, 297, 627 में किसी प्रकार का कब्जात्मक/निर्माण नहीं करें, मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। निर्णय मजमे आम सुनाया गया। (हस्ताक्षर) पीठासीन अधिकारी	